मूल वाद में डिक्री

(ऑर्डर 20 रूल 6–7 सी.पी.सी.)

न्यायालय उप जिला कलेक्टर बामनवास

पीठासीन अधिकारीः सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

सुमन कंवर उर्फ पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह, जाति राजपूत, निवासी बाढ़ पनियाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, वादिया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार तहसील बामनवास, प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत दुरुस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

राजस्व वाद संख्या 104/2021

वादिया स्वयं उपस्थित, प्रतिवादी की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आज दिनांक 04.6.2025 को मुझ पीठासीन अधिकारी सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस. के समक्ष अंतिम निपटारे के लिए इस वाद पंत्र के पेश होने पर वादिया का वाद पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि खसरा नम्बर 51 रकवा 1.25 हेक्टेयर ग्राम नाननवास के हिस्सा 1/4 की वादिया खातेदार व काश्तकार है तथा सुमन कंवर व पिंकी कंवर दोनों एक ही महिला हैं । हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम पिंकी कंवर के स्थान पर सुमन कंवर उर्फ पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह संशोधित कर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं ।

डिक्री मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से चिह्नित कर आज दिनांक 04.6.2025 को जारी की गई ।

04.06.25

(सुनील कुमार मीना)
उपखण्ड अधिकारी
बामनवास

उपजिला कलक्टर
बामनवास (स०मा०)

वादी	खर्चा	प्रतिवादी	खर्चा
स्टॉम्प अर्जीदावा		स्टॉम्प वकालतनामा	
स्टॉम्प वकालतनामा		स्टॉम्प अर्जीदावा	
स्टॉम्प बजह सबूत		मेहनताना वकील	
मेहनताना वकील		खर्चा गवाहान	
बावत इजराय हुक्मनामा		फीस कमिश्नर	
मुतफर्रिक		इजराय हुक्मनामा	
		मुतफर्रिक	
		योग	
योग			

न्यायालय उप जिला कलेक्टर, बामनवास

पीठासीन अधिकारी श्री सुनील कुमार मीना, आर.ए.एस.

वाद पत्र संख्या 104/2021

सुमन कंवर उर्फ पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह, उम्र 37 साल, जाति राजपूत, निवासी बाढ़ पनियाला, तहसील बामनवास, जिला सवाई माधोपुर, वादिया

बनाम

लैण्ड होल्डर जरिये तहसीलदार, तहसील बामनवास, प्रतिवादी

वाद पत्र बाबत दुरुस्ती इन्दाज एवं स्थाई निषेधाज्ञा

निर्णय दिनांक 24.6.2025

इस आदेश द्वारा निस्तारित किए जा रहे वाद पत्र में वादिया द्वारा कथन किया गया है कि आराजी खसरा नम्बर 51 रकवा 1.25 हेक्टेयर ग्राम नाननवास, तहसील बामनवास में वादिया का 1/4 हिस्सा निहित रहा है, जिसे वही काश्त करती चली आ रही है । उक्त आराजी वादिया द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र क्रय की गई है, जिसका नामान्तकरण भी वादिया के हक में हो चुका है । आगे कथन किया है कि वादिया का गांव में बोलता नाम पिंकी कंवर है तथा वादिया का नाम अन्य सरकारी दस्तावेज, यथा आधार कार्ड, राशन कार्ड, भामाशाह कार्ड इत्यादि में सुमन कंवर है । रजिस्ट्री के समय वादिया का बोलता नाम पिंकी कंवर दर्ज हो गया, जबकि वादिया का सरकारी दस्तावेजों में सही नाम सुमन कंवर दर्ज है । वादिया के अलावा गांव में पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह नाम की अन्य कोई महिला नहीं है । सुमन

उपजिला कलेक्टर बामनवास (स०मा०)

कंवर और पिंकी कंवर ये दोनों एक ही महिला है । वादिया के अनुससार उक्त गलत अंकन के बारे में पूर्व में वादिया को किसी प्रकार की कोई जानकारी नहीं थी, वादिया अपनी भूमि पर के.सी.सी. लेने हेतु पटवारी हल्का के पास दिनांक 30.11.2021 को गई तो पटवारी हल्का द्वारा उक्त इन्द्राज के बावत जानकारी दी गई, जिस पर वादिया द्वारा दिनांक 2.12.2021 को उक्त संशोधन बावत तहसीलदार बामनवास के समक्ष अपना प्रार्थना पत्र पेश किया गया तो उन्होंने सक्षम न्यायालय में दावा पेश कर आवश्यक आदेश करवाने बावत कहा, इसलिए वादिया को यह वाद पत्र पेश करना आवश्यक हुआ । वादिया के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में उक्त गलत अंकन के कारण वादिया को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है तथा वह किसी प्रकार की कोई सरकारी योजनाओं का लाभ भी नहीं ले पा रही है, इसलिए वादिया के नाम का संशोधन किया जाना आवश्यक है । इस आधार पर वाद पत्र पेश करते हुए वादिया द्वारा अनुतोष भाग में अनुरोध किया गया है कि वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी मय खर्चा डिकी किया जाकर यह उद्घोषित किया जावे कि पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह व सुमन कंवर पत्नी मुकेश सिंह दोनों एक ही महिला हैं तथा ग्राम बाढ़ नाननवास में स्थित खसरा नम्बर 51 रकबा 1.25 हैक्टेयर में दर्ज पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह के स्थान पर सुमन कंवर पत्नी मुकेश सिंह दर्ज किया जावे और इस हेतु प्रतिवादी को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा हेतु पाबंद फरमाया जावे ।

कलेक्टर (स०मा०)

प्रतिवादी की ओर से अपने जवाब में कथन किया गया है कि ग्राम बाढ़ नाननवास, पटवार मण्डल मोरपा के खसरा नम्बर 51 रकवा 1.25 हेक्टेयर में पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह, जाति राजपूत निवासी बाढ़ पनियाला का 1/4 हिस्सा निहित है, नामान्तकरण संख्या 112 के अनुसार बाढ़ नाननवास के कॉलम संख्या 7 व 9 में दर्ज प्रविष्टि के अनुसार खसरा नम्बर 51 रकवा 1.25 हेक्टेयर का 1/4 हिस्सा विक्रेता कजोड्या पुत्र नारायण गुर्जर से पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह राजपूत के नाम से क्रय किया गया है एवं विक्रयपत्र के अनुसार नामान्तकरण में क्रेता का नाम पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह ही दर्ज किया गया है एवं स्वीकृत किया गया है, जवाब के अनुसार वादिया का वर्तमान रिकॉर्ड में नाम पिंकी कंवर ही दर्ज हो रहा है, रिकॉर्ड में किसी प्रकार की कोई लिपिकीय त्रुटि नहीं पाई गई है, धारा 136 एल.आर. एक्ट या नियम 166 के अंतर्गत राजस्व रिकॉर्ड में त्रुटि नहीं पाई गई और इस आधार पर दावे को खारिज किए जाने का अनुरोध किया गया है ।

पक्षकारों के अभिवचनों के आधार पर प्रकरण में निम्नांकित विवाद्यक विरचित किए गए:-

जिला कलक्टर
नाननवास (स०मा०)

1. आया खसरा नम्बर 51 रकवा 1.25 हेक्टेयर ग्राम नाननवास के हिस्सा 1/4 की वादिया खातेदार व काश्तकार है ? वादिया

2. आया वादिया का नाम सरकारी दस्तावेजों में सुमन कंवर दर्ज है, इसी अनुसार वादिया राजस्व रिकॉर्ड में संशोधन कराने की हकदार है ?वादिया

3. सुमन कंवर व पिंकी कंवर दोनों एक ही महिला ग्राम नाननवास में हैं ?वादिया

4. आया वादिया का वाद धारा 136 एल.आर. एक्ट के तहत व नियम 166 के तहत स्वीकार किए जाने योग्य नहीं है ? प्रतिवादी

5. अनुतोष ?

उपरोक्त विवाद्यकों के समर्थन में पक्षकारों को अपनी अपनी ओर से साक्ष्य पेश करने का अवसर दिया गया, जिसमें वादिया ने अपनी ओर से मौखिक साक्ष्य में स्वयं अपने आपको बतौर पी.ड. 1 परीक्षित कराकर साक्ष्य समाप्त की, प्रलेखीय साक्ष्य में 6 दस्तावेजों को प्रदर्शित करवाया । इस साक्ष्य के खण्डन में प्रतिवादी की ओर से कोई साक्ष्य पेश नहीं की गई ।

बहस सुनी जाकर पत्रावली का अवलोकन किया गया । हमारे द्वारा सुनी गई, बहस और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य सामग्री के आधार पर हम यह पाते हैं कि वादिया द्वारा उक्त भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रयपत्र कजोड्या पुत्र नारायण गुर्जर, निवासी बाढ़ नाननवास से कय की गई है, जो तथ्य विक्रयपत्र प्रदर्श 6 से प्रमाणित है, इस तथ्य को प्रतिवादी ने अपने जवाब दावे में भी स्वीकार किया है । हमारे द्वारा पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज प्रदर्श 3, 4 व 6 का अवलोकन किया गया, जिससे भी यह स्पष्ट है कि उक्त महिला अलग अलग न होकर एक ही महिला है । वादिया के पहचान सम्बन्धी सभी दस्तावेजों में उसका नाम सुमन कंवर ही अंकित है । वादिया के साथ ही उक्त विक्रयपत्र के केता दुलारी बाई, सीमा देवी व निहाल कंवर ने भी अपनी ओर

से स्टॉम्प पेपर पर वादिया के कथनों का समर्थन करते हुए अपनी ओर से सहमति पत्र पेश किया है । इसके अलावा भी प्रदर्श 5 ग्राम पंचायत भिनोरा द्वारा जारी प्रमाण पत्र पत्रावली पर मौजूद है, जिसमें भी उसके जारीकर्ता ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा स्पष्ट रूप से यह उल्लिखित किया है कि पिंकी कंवर व सुमन कंवर दोनों एक ही महिला हैं । वादिया द्वारा प्रदर्शित कराये गये दस्तावेजों, उसके द्वारा अपने वाद पत्र में किए गए कथनों का कोई तात्विक खण्डन प्रतिवादी द्वारा नहहं किया गया है, उसके द्वारा जो भी एतराज किया गया है, उसके बारे में ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा प्रमाण पत्र प्रदर्श 5 जारी कर पिंकी कंवर व सुमन कंवर को एक ही महिला होना बताया गया है, ऐसे में वादिया के कथनों पर अविश्वास किए जाने का कोई कारण हमारे समक्ष मौजूद नहीं है तथा वह राजस्व रिकार्ड व सरकारी पहचान पत्रों में अपने नाम के संदर्भ में आये हुए अंतर को दुरुस्त कराने की उचित अधिकारिणी है, उक्त संशोधन से किसी दीगर व्यक्ति के खातेदारी अधिकारों पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है । उक्त विवेचन के आधार पर विवाद्यक संख्या 1, 2 व 3 बहक वादिया विरुद्ध प्रतिवादी तय किए जाते हैं ।

जिला कलक्टर
निवास (स०मा०)

जहां तक विवाद्यक संख्या 4 का प्रश्न है, इसको साबित करने का भार प्रतिवादी पर था, किन्तु इस विवाद्यक के समर्थन में उसकी ओर से कोई साक्ष्य नहीं आई है, इसलिए विवाद्यक संख्या 4 विरुद्ध प्रतिवादी, बहक वादिया तय किया जाता है ।

विवाद्यक संख्या 5 अनुतोष से सम्बन्धित है, विवाद्यक संख्या 1 लगायत 3 बहक वादिया प्रमाणित पाये गये हैं, इसलिए वादिया का यह वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किए जाने योग्य पाया जाता है ।

आदेश

वादिया का वाद पत्र विरुद्ध प्रतिवादी स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है तथा यह उद्घोषित किया जाता है कि खसरा नम्बर 51 रकवा 1.25 हेक्टेयर ग्राम नाननवास के हिस्सा 1/4 की वादिया खातेदार व काश्तकार है तथा सुमन कंवर व पिंकी कंवर दोनों एक ही महिला हैं । हाल राजस्व रिकॉर्ड में वादिया का नाम पिंकी कंवर के स्थान पर सुमन कंवर उर्फ पिंकी कंवर पत्नी मुकेश सिंह संशोधित कर दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं । डिक्री तदनुसार तैयार की जावे ।

04/06/25

उपजिला कलक्टर बामनवास (स०मा०)

(सुनील कुमार मीना)
उपजिला कलेक्टर
बामनवास

निर्णय आज दिनांक 04.6.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

04/06/25

उपजिला कलक्टर बामनवास (स०मा०)

(सुनील कुमार मीना)
उप जिला कलेक्टर
बामनवास